शकुंतला देवी

बनाम

भारत संघ और अन्य अक्टूबर 3, 2005

[आर. सी. लाहोटी, मुख्य न्यायाधीश, और जी. पी. माथुर, न्यायाधीश और पी. के.

बालासुब्रमण्यन, न्यायाधीश]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 32- स्वतंत्रता सेनानी पेंशन-रिट याचिका में दावा किया गया-अभिनिर्धारित, मामला अनुच्छेद 32 के तहत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विचारणीय नहीं है - ऐसे मामले, जहां याचिकाकर्ताओं को वास्तविक शिकायत है, उच्च न्यायालय द्वारा बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं-संविधान के अनुच्छेद 32 को सीधे लागू करके इस न्यायालय में ऐसी याचिकाएं दायर करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सी) संख्या 10/2005. (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

याचिकाकर्ता के पित मदन मोहन राय, याचिकाकर्ता की ओर से (एस सी एल एस सी) श्रीमती के. शारदा देवी ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

आदेश

हमने श्री मदन मोहन राय को सुना है जो कहते हैं कि वह याचिकाकर्ता के पित हैं। 25.8.2005 के आदेश के अनुसरण में श्रीमती के. शारदा देवी, अधिवक्ता को याचिकाकर्ता की ओर से कानूनी सहायता वकील के रूप में नियुक्त किया गया है।

हमने रिट याचिका की विषय-वस्तु और संलग्न किए गए दस्तावेजों पर भी विचार किया है। हम संतुष्ट हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

हम यह देखने के लिए विवश हैं कि इस न्यायालय में कई मामले दायर किए जा रहे हैं जिसमें याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी हैं और इसलिए केंद्र द्वारा बनाई गई योजना के तहत पेंशन के हकदार हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में राज्य सरकारों ने पाया है कि याचिकाकर्ता ऐसी पेंशन लेने के हकदार नहीं हैं और इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा केंद्र को उनके मामलों की सिफारिश नहीं की गई है। इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने पर राज्य सरकारों को यहां उपस्थित होने और कारण बताने और प्रासंगिक दस्तावेज़ दिखाने के लिए नोटिस दिया जाता है।

हमारा यह मानना है कि ऐसे मामलों में, जहाँ भी याचिकाकर्ताओं की वास्तविक शिकायत है, को उच्च न्यायालय द्वारा बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 32 को सीधे लागू करके इस न्यायालय में ऐसी याचिकाएं दायर करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में एक उपयुक्त याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, यदि ऐसा सलाह दी जाये, रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

आर. पी.

रिट याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।